(क0नं0-1774775)

संख्या-49/2024/817/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 03 सितम्बर, 2024**

विषयः-उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के समतुल्य लाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विस्तार हेतु उसके संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-43/2024/731(1)/23-12-2024-23-12099(099)/56 /2023, दिनांक 11 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के समतुल्य लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग (रा0मा0 खण्ड) उत्तर प्रदेश के माध्यम से उ0प्र0 प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित गति से विस्तार हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि को निम्नवत शर्तों के अधीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2024 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग (रा0मा0 खण्ड) उत्तर प्रदेश के माध्यम से उ0प्र0 प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित गति से विस्तार हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गो के संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी भी विभाग की समस्त प्रकार की भूमि को नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भूमि के सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने विभाग में प्रचलित भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित सुसंगत नियमों/शासनादेशों के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर नि:शुल्क भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर उक्त शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2024 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा नि:शुल्क भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु स्वस्तर से संबंधित जिलाधिकारी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर, कार्यवाही की जायेगी।

(3) भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित आदेश निर्गत होने के पश्चात सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि जनपद के भू-राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय चौहान

प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-49 /2024/817(1)/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।

(4) मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) रीजनल आफिसर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, लखनऊ।

(9) क्षेत्रीय अधिकारी(ईस्ट/वेस्ट/दिल्ली), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी/लखनऊ/ दिल्ली।

(10) मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/(रा0मा0)/(परिकल्प/नियोजन),लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in